



दिनांक 27 अगस्त, 2022 को समस्त सम्बद्ध नर्सिंग / पैरामेडिकल कॉलेजों में संचालित विभिन्न नर्सिंग एवं पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों की शैक्षिक गुणवत्ता में नवाचार के माध्यम से आवश्यक सुधार किये जाने हेतु मा० कुलपति, एच०एन०बी०य०एम०य० की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय परिसर में आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थित:-

1. प्रो० (डॉ०) महेन्द्र कुमार पन्त, कुलसचिव, एच०एन०बी०य०एम०य० देहरादून।
2. प्रो०विजय जुयाल, परीक्षा नियंत्रक, एच०एन०बी०य०एम०य० देहरादून।
3. डॉ० एन०एस० खत्री, राजकीय दून पैरामेडिकल मेडिकल कॉलेज, देहरादून।
4. श्री राम कुमार शर्मा, रजिस्ट्रार, स्टेट नर्सिंग काउन्सिल, एवं प्राचार्य स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग देहरादून।
5. श्रीमती ललिता बिष्ट, प्राचार्य राजकीय नर्सिंग कॉलेज, हल्द्वानी।
6. श्रीमती आशा गंगोला, प्राचार्य राजकीय नर्सिंग कॉलेज, अल्मोड़ा
7. श्रीमती सबिस्ता अहमद, प्राचार्य, राजकीय नर्सिंग कॉलेज, नई टिहरी।
8. श्रीमती मनीषा ध्यानी, प्राचार्य, राजकीय नर्सिंग कॉलेज, पौड़ी गढ़वाल।
9. श्री ललित मोहन जोशी, अध्यक्ष, सी०आई०एम०एस० एवं य०आई०एच०एम०टी० ग्रुप ऑफ कॉलेज मोहकमपुर देहरादून।
10. श्री डी०एस०तोमर, श्री स्वामी भूमानन्द कॉलेज ऑफ नर्सिंग एवं पैरामेडिकल हरिद्वार।
11. श्रीमती एस० एग्यारकन्नी प्राचार्य, श्री स्वामी भूमानन्द कॉलेज ऑफ नर्सिंग हरिद्वार।
12. श्री राज कुमार शर्मा निदेशक, चिन्मय एडवान्स रिसर्च एजुकेशन, हरिद्वार।
13. श्री विजय मेथ्यू प्राचार्य प्रतिनिधि, द्रोण कॉलेज ऑफ नर्सिंग, उधमसिंह नगर किंच्छा।
14. उप प्राचार्य, कवाङ्गा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, रुड़की।
15. श्री अर्जुन सिंह, दून इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, सहसपुर विकासनगर देहरादून।
16. प्रो० लीलावथी, प्राचार्य, श्री देव भूमि कॉलेज ऑफ नर्सिंग एवं पैरामेडिकल देहरादून।
17. डॉ० दीपंजीत कौर, प्राचार्य, उत्तराचंल पी०जी० कॉलेज, एण्ड बायोमेडिकल साइंसेज, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सेवाला कला देहरादून।
18. श्री अनिल, कुमार, प्राचार्य, सिद्धार्थ नर्सिंग एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, देहरादून।
19. ललिता ताकुली, प्राचार्या प्रतिनिधि एम०आई०टी० हल्द्वानी।
20. श्री अतुल चौहान, प्राचार्य प्रतिनिधि मोर्डन ग्लोबल नर्सिंग इन्स्टीट्यूट, हरिद्वार।
21. श्री विकास तिवारी, आरोग्यम इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एण्ड एलाइड साइंसेज, रुड़की।
22. डॉ० अनिल कुमार प्रासर, पाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, हल्द्वानी।
23. डॉ० विजय सिंह, प्रगति कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल काशीपुर।
24. डॉ० निता नगयम, श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, हरिद्वार।
25. प्रो० नोशाद आलम, उप प्राचार्य, किंगस्टन इमपेरियल इंस्टीट्यूट, ऑफ मेडिकल साइंसेज, देहरादून।
26. श्री राकेश कुमार त्रिपाठी, संजीवनी हास्पिटल एण्ड मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट झबरेरा हरिद्वार।

20/09/22

27. श्री पंकज सिंह ,अरिहन्त कॉलेज, ऑफ नर्सिंग, हरिद्वार।
28. डॉ० महवेश खालिद, प्राचार्य, देव भूमि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, मांडुवाला देहरादून।
29. श्री अभिषेक नोटियाल, श्री देव भूमि इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, देहरादून।
30. श्री सचिन कुमार शर्मा, कोर कॉलेज, ऑफ नर्सिंग, रुड़की।
31. श्री महेश सिंह चौहान, सम्राट पृथ्वी राज चौहान कॉलेज ऑफ नर्सिंग काशीपुर।
32. डॉ० प्रवीन कुशवाह, हिमालयन कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल सांइंसेज,

बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार—विमर्श किए गये:—

सर्वप्रथम मा० कुलपति महोदय, हे०न०ब० उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य/प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए बैठक प्रारम्भ की गयी। बैठक में आये कॉलेजों के प्राचार्य एवं प्रतिनिधियों द्वारा नये कैम्पस की बधाई देते हुए प्रशंसा व्यक्त की गयी।

बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार—विमर्श किए गये:—

1. शैक्षिक सत्र 2021–22 बी०एस०सी० पाठ्यक्रम मे प्रवेशित छात्र—छात्राओं की परीक्षा पर चर्चा की गयी। समस्त नर्सिंग परीक्षा सेमेस्टर सिस्टम वाइज की जानी है। जिस पर चर्चा करते निर्णय लिया गया कि भारतीय नर्सिंग परिषद (INC) नई दिल्ली द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में इस वर्ष से ही सेमेस्टर सिस्टम की व्यवस्था की जायेगी। सेमेस्टर वाइस नर्सिंग परीक्षा सितम्बर माह में सम्पन्न किये जाने मर मत स्थिर किया गया। उक्त परीक्षा हेतु लिए जाने वाले परीक्षा शुल्क फिलहाल पूर्व की भौति परन्तु भविष्य हेतु वित्त समिति की संस्तुति के आधार पर जारी किया जायेगा।
2. मा० कुलपति महोदय द्वारा कॉलेजों को निर्देश दिये गये कि विश्वविद्यालय में सम्बद्धता हेतु जमा किये जाने वाले प्रभूति धनराशि को शासन द्वारा अन्तिम निर्णय आने तक पूर्व मे जारी शासनादेश के अनुरूप ही विश्वविद्यालय मे जमा कराया जाए। क्योंकि वर्तमान में उक्त प्रकरण शासन स्तर पर प्रक्रियाधीन है।
3. विगत वर्षों से प्रायः देखा जा रहा है कि कॉलेजों द्वारा प्रबन्धकीय कोटे के अतिरिक्त राजकीय कोटे की अधिकांश सीटें स्वतः ही भर ली जाती है। कॉलेजों से अपेक्षा की गयी कि भविष्य में ऐसा प्रकरणों की पुनर्रावृत्ति ना हो। भविष्य में राज्य कोटे की सीटों पर मॉप—अप राउड की काउन्सिलिंग के उपरान्त रिक्त सीटों पर एसोसिएशन ऑफ प्राईवेट नर्सिंग एवं पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट उत्तराखण्ड द्वारा करायी गयी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित छात्र/छात्रों हेतु विश्वविद्यालय की अनुमति के उपरान्त ही मेरिट के आधार पर भरी जा सकेगी।
4. शासनादेश संख्या: 230 / xxvIII(6)/22-15(नर्सिंग) / 2021 दिनांक 16 जून, 2022 मे लिये गये निर्णयानुसार, शासनादेश संख्या 437 / xxvIII(6)/15(नर्सिंग) / 2021 दिनांक 24 अगस्त, 2021 के क्रम मे, जारी आदेश —भारतीय उपचर्या परिषद

20/09/22

(बी0एस0सी0 (नर्सिंग) कार्यक्रम के लिये संशोधित नियम एवं पाठ्यक्रमों) विनियम 2020 (भारत सरकार के राजपत्र संख्या 275 दिनांक 05.07.2021 को जारी) के आलोक में राज्य में बी0एस0सी0नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रदेश के समस्त राजकीय संस्थानों की 100 प्रतिशत सीटों पर तथा राज्य स्थित सम्बद्ध निजी नर्सिंग उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय द्वारा राज्य स्तरीय एकल प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा, के अनुपालन में जब तक अन्यत्र आदेश ना होने तक पूर्व वर्ष की भौति इस वर्ष भी निजी संस्थानों हेतु 50 प्रतिशत सीटें राज्य कोटे की एवं 50 प्रतिशत प्रबन्धकीय कोटे की होगी। प्रबन्धकीय सीटे भी आई0एन0सी0 के मानकों के स्वरूप ही भरी जोयगी।

- 5- परीक्षा नियंत्रक, है0न0ब0 उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा रजिस्ट्रार, नर्सेज एण्ड मिडवाईंज काउन्सिल से अपेक्षा की गयी कि वह अपनी काउन्सिल के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों की पाठ्यक्रमवार एवं सीटवार विवरण विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायेगे। जिससे मान्यता प्राप्त कॉलेजों को आपकी सूची के अनुसार कॉलेजों को काउन्सिलिंग मे सम्मिलित किया जा सकें।
- 6- मा0 कुलपति महोदय द्वारा सम्बद्ध कॉलेजों के प्राचार्यों से अपेक्षा की गयी कि वह कॉलेजों में जहाँ पर एम0एस0सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रम संचालित है, प्रवेश से पूर्व अभ्यर्थियों से एक एफिडेफिड ले लिया जाए कि उनके द्वारा किसी भी अन्य संस्थान में सेवाएँ नहीं दी जा रही है। साथ ही कॉलेजों को निर्देश दिये गये कि कॉलेजों में कार्यरत संकाय सदस्य से भी शपथ पत्र प्राप्त करें की उनके द्वारा एक वर्ष तक आपके संस्थान में सेवाएँ दी जाएगी। सत्र समाप्ति तक संकाय सदस्यों द्वारा कॉलेज मे त्यागपत्र नहीं दिया जाएगा।
- 7- अध्यक्ष, केयर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, हरिद्वार द्वारा विश्वविद्यालय से अपेक्षा की गयी कि जिन संस्थानों का लगातार 05 वर्षों तक सम्बद्धता संबंधी निरीक्षण किया जा चुका है, उन्हे शासन के नियमानुसार स्थायी सम्बद्धता देते हुए निरीक्षण की प्रक्रिया नहीं की जानी चाहिए जिस पर मा0 कुलपति महोदय तथा परीक्षा नियंत्रक द्वारा स्थायी सम्बद्धता हेतु नियत मानकों से अवगत कराया गया तथा सम्बद्धता हेतु संकाय सदस्य की महत्वपूर्ण भूमिका/आवश्यकता के दृष्टिगत संकाय सदस्यों हेतु निरीक्षण किया जायेगा पर सहमित प्रदान की गयी।
- 8- मा0 कुलपति महोदय द्वारा कॉलेजों को सुझाव दिये गये कि यदि किसी अभ्यर्थी के माता-पिता की कोविड महामारी से मृत्यु हो गयी हो या निर्धन परिवार से है, तो ऐसे अभ्यर्थी को उसके समस्त अभिलेखों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अपने स्तर पर शिक्षा शुल्क में कमी कर या छात्रवृत्ति सहायता प्रदान करें।
- 9- पैरामेडिकल के कॉलेजो द्वारा अवगत कराया गया कि कुछ विषयों पर शासन द्वारा इसेन्सोल्टी Essentiality Certificate मिलने के उपरान्त पाठ्यक्रमों के पूर्ण होने के उपरान्त उन पाठ्यक्रमों को ना तो पैरामेडिकल काउन्सिल पंजीकृत कर रही है और ना ही मेडिकल काउन्सिल, इस पर परीक्षा नियंत्रक द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त के संबंध में पैरामेडिकल एलाइड काउन्सिल शीघ्र ही बनने जा रही है, जिससे इस तरह की परेशानियों से राहत मिलेगी।

20/09/22

10- मा० कुलपति महोदय द्वारा उपस्थित सभी कॉलेजों के प्राचार्यों/प्रतिनिधियों को अवगत कराया की सभी अपने कॉलेजों/संस्थानों में डिजिटल उपस्थिति दर्ज करवाये। उक्त उपस्थिति विश्वविद्यालय स्तर से एक ऑन लाईनपोर्टल के माध्यम से ली जायेगी। जिसमे सभी कॉलेजों के प्राचार्यों/शिक्षक गणों द्वारा अपनी उपस्थिति अनिवार्य रूप दर्ज करानी होगी। साथ ही पी०जी० पाठ्यक्रम(नर्सिंग) हेतु प्रवेशित छात्र/छात्राओं की उपस्थिति भी ऑन लाईन ही की जायें। जिस पर बैठक मे उपस्थित सभी ने अपनी सहमित व्यक्ति की गयी। बैठक मे यू०जी०सी० द्वारा जारी नयी शिक्षा नीति /प्रणाली (डिजिटलिकरण) हेतु दिये गये दिशा निर्देशानुसार शिक्षा के प्रसार एवं शिक्षा प्रणाली को बेहतर एवं सुदृढ़ बनाये जाने पर भी जोर दिया गया।

तदोपरान्त धन्यवाद ज्ञाप के साथ बैठक का समापन किया गया।

पत्रांक: २००८/ट०-७०९५७३ चिठ्ठी/वि/१०/२०२२-२३ तिथि- २०/०९/२०२२

(प्रो० (डॉ०) महेन्द्र कुमार पन्त)
कुलसचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, 107 चन्द्र नगर, देहरादून।
3. अध्यक्ष/महासचिव, एसोसिएशन ऑफ प्राईवेट नर्सिंग एवं पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट उत्तराखण्ड।
4. विश्वविद्यालय सम्बद्ध समस्त निजी एवं राजकीय नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कॉलेज, उत्तराखण्ड।
5. कार्यालय प्रति।

(प्रो०(डॉ०)महेन्द्र कुमार पन्त)
कुलसचिव